संख्या- 64/2025/001-643-24-1-2025-2249-2010

प्रेषक,

प्रभंजन यादव,

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,

शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 28 जुलाई, 2025

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु आर0ई0सी0 से प्राप्त ऋण की धनराशि के भुगतान की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या–431/अधि0नि0(वित्त)/निधि-2/आर(डिस्ट)/04-05/97/2004, दिनांक 15 जुलाई, 2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु आर0ई0सी0 से प्राप्त ऋण की धनराशि के भुगतान की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में ऊर्जा विभाग के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्ष-6003-109-03-00-30 के भारित मद में प्राविधानित धनराशि रूपये 90,54,37,000/- (रूपये नब्बे करोड़ चौवन लाख सैंतीस हजार मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 81,86,43,467/- (रूपये इक्यासी करोड़ छियासी लाख तैतालिस हजार चार सौ सड़सठ मात्र) में से धनराशि रूपये 1,39,69,215/- (रूपये एक करोड़ उनतासिल लाख उनहत्तर हजार दो सौ पन्द्रह मात्र) निम्नलिखित शर्तों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,39,69,215 (रुपये एक करोड़ उनतालीस लाख उनहत्तर हजार दो सौ पन्द्रह मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025 - 26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 009 लेखा शीर्षक 6003001090300 राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु आर.ई.सी. से प्राप्त ऋण का प्रतिदान मानक मद 30 निवेश/ऋण (भारित) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-35-X-2025-26-दिनांक: 23-7-2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

प्रभंजन यादव
उप सचिव।

संख्या-64/2025/001-643(1)-24-1-2025-2249-2010, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि0, कोर-4, स्कोप काम्प्लेक्स-7- लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
3- प्रधान महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)-प्रथम, 15 ए, दयानन्द मार्ग, सिविल लाइन, प्रयागराज-211001
4- कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-।।), उ0प्र0, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

प्रभंजन यादव
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।